प्रारूप – 6

19

संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत मैखोली–नलगॉव–लखेडी–वासीसेम रोहिडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित सरेंखण के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली वन पंचायत भूमि 2.152 है0 निरीक्षण वन विभाग की ओर से वन दरोगा श्री गोपाल दत्त थपलियाल याचक विभाग की ओर से कनिष्ठ अभियन्ता श्री बी0एस0 बसेडा एवं राजस्व विभाग की ओर से राजस्व उप निरीक्षक श्री एस0पी0 डिमरी द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 31-12-12 को किया गया । वन पंचायत भूमि में चीड/बाज/उतीस प्रजाति के 448 वृक्ष खडे मौजूद है। शासनादेश संख्या 883 (I)/ग–3–2011–8(21) /2010 दिनांक 4 अक्टूबर 2011 के शासनादेश संख्या 2882/गअपपप (II)/11 –18 (120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के आलोक में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उक्त वन पंचायत भूमि वन स्वरूप है। मार्ग अधिगृहित की जाने वाली भूमि की चौडाई 7 मी0 ली गयी है। उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त वैकल्पिक भूमि का चयन किया गया है जो कि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त नही है। मोटर मार्ग हेतु ली गयी भूमि न्यूनतम है। मार्ग का सरेंखण इस प्रकार किया गया है कि वन सम्पदा जैसे वृक्षों का कम से कम नुकसान हो प्रस्तावित संरेखण में कोई निर्माण कार्य नही किया गया है। यह कार्य जनहित में किया जाना है। वृक्षों की गणना 7 मी0 चौडाई में की गयी है।

अतः उक्तानुसार उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का वन पंचायत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के कम में परीक्षण रिर्पोट आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित ।

अमीन	राजस्व उपनिरीक्षक	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 गैरसैण।
सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 गैरसैण।	तहसीलदार गैरसैण	उपजिलाधिकारी गैरसैण।
वन दरोगा	वन क्षेत्राधिकारी गैरसैण।	
अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 गैरसैण।	उप वन संरक्षक	प्रति ह0 जिलाधिकारी।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गौचर उप वन प्रभाग,
गोपेश्वर